इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 मई 2013—वैशाख 11, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

अधि. सू. क्र. 51 एफ 1-07-2012-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 की उपधारा (2) तथा धारा 95 के साथ पठित धारा 355 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 के खण्ड (ग) में, शब्द ''संचालक, स्थानीय निकाय'' के स्थान पर शब्द ''आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास'' स्थापित किए जाएं.

(2) नियम 4 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घ) पेंशन मामलों को रोकने अथवा उन्हें वापस करने हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के उपबंध लागू होंगे.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

अधि. क्र. 51 एफ 1-07-2012-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 51 एफ 1-07-2012-अठारह-3, दिनांक 1 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 1st May 2013

Noti. no. 51 F. 1-07-2012-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (iv) of sub-section (2) of Section 355 read with sub-section (2) of Section 86 and Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Service (Pension) Rules, 1980 namely:—

AMENDMENT

In the said rules—

(1) In clause (c) of rule 3, for the words "Director, Local Bodies" the words "Commissioner, Urban Administration and Development" shall be substituted.

(2) After clause (c) of rule 4, the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) The provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Pension) rule, 1976 shall be applicable to withhold or withdraw pension cases."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.